रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226764
CG-DL-E-26042021-226764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943
No. 233] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 291(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2घक में,--

   (i) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

   "बशर्ते खंड (ii) में परिसंपत्तियों के सम्बंध में शर्ते निवेश या निर्देशित हुई प्रतीत होती है। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हो :-

   (क) ऐसी निधि द्वारा निर्देशित अथवा निवेशित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्तियाँ पूरी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेशी सरकार के स्वामित्व में हो ;

(ग) ऐसी परिसंपत्तियाँ विदेशी सरकार के ऊपर विघटन में निहित हो ।";

(iii) खंड (ii) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे,अर्थात् :--

"आगे यह भी व्यवस्था की जाती है की खंड (iii) के उपबंध खंड (ii) के परंतुक में संदर्भित परिसंपत्तियो से होने वाली आय पर लागू नहीं हो यदि उक्त आय विदेशी सरकार के खाते में अथवा सरकार द्वारा धारित किसी अन्य खाते में जमा की गयी है। ताकि किसी निजी व्यक्ति को आय का कोई भी भाग किसी अन्य लाभ के लिए प्रभावित न हो। 3. मूल नियम में नियम 2घग में, उप नियम (1) में "स्पष्टीकरण" शब्द के स्थान पर, "स्पष्टीकरण 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे;"

4. मूल नियम में परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10खखक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 10खखक

[देखें नियम 2घग, उपनियम (1)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन अधिसूचना के लिए आवेदन

(पेंशन निधि)

सेवा में,

सदस्य (विधान), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान आवेदन के लिए)**/सदस्य (विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग पर नियंत्रण रखने वाला) (अन्य वित्त वर्ष के दौरान आवेदन के लिए)**

महोदया/महोदय,

आवेदक एक पेंशन निधि है और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के निबंधनों में विनिधान करने का इच्छुक है, अत: इसलिए यह अनुरोध है कि आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :--

(क) पेंशन निधि का नाम

(ख) पेंशन निधि का पता

(ग) निवास के देश की कर पहचान संख्या

(घ) निवास का देश

(ङ) स्थायी लेखा संख्या (पैन)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि,--

(क) ..... (कृपया विदेश के नाम का वर्णन करें, जिसके अंतर्गत उसके किन्हीं राजनीतिक घटकों जैसे प्रदेश/राज्य/स्थानीय निकाय आदि सम्मिलित हैं) की विधि के अधीन सृजित या स्थापित और उस विधि के अधीन विनियमित पेंशन निधि ;

(ख) पेंशन निधि ऊपर (क) में वर्णित विदेश में कर से दायी नहीं है या यदि कर के लिए दाई है तो, इसकी सभी आयों को कराधान से छूट ऐसे विदेश द्वारा प्रदान की गई है ;

(ग) पेंशन निधि कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए आस्तियों का प्रशासन करने और एक या अधिक निधियों या सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, नि:शक्तता, मृत्यु फायदों या इसी प्रकार के समान प्रतिकर का, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों को उपबंध करने के लिए परिभाषित अंशदायों के लिए उत्तरदायी होगा/परिसंपत्तियों का कुल मूल्य पेन्शन निधि द्वारा निवेशित या निर्देशित दस प्रतिशत से अधिक न हो । निवेश की गयी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य स्थापित योजनाओं, सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ अथवा अन्य समरूप प्रतिपूर्ति प्रतिभागियों या लाभार्थियों के लिए ऐसी निधि योजनाएँ और ऐसी परिसंपत्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष पूर्ण रूप से विदेशी सरकार ((क) पर वर्णित) के स्वामित्व में हो तथा इस तरह विदेशी सरकार के ऊपर विघटन में निहित है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दे);

(घ) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं और ऊपर (ग) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाएगा तथा भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किए गए संदाय या भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गए श्रणों या उधारियों का वर्जन करते हुए पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के लिए किसी फायदे के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा/पेन्शन निधि की आय व सम्पत्ति स्थापित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ अथवा अन्य समरूप योजनाओं में लाभार्थियों या प्रतिभागियों को प्रतिपूर्ति विदेशी सरकार के या सरकार द्वारा नामित किसी अन्य खाते। [(क) पर वर्णित] में जमा किया जाता है ताकि आय का कोई भी भाग किसी निजी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं करता हो।; (जो लागू नहीं हो उसे काट दे) और

(ङ) पेंशन निधि विनिधान प्राप्तकर्ता से विनिधान को संरक्षित करने वाली किसी मानीटरी क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यपालक निदेशक की नियुक्त करने का अधिकार भी है, वर्जन करते हुए विनिधान प्राप्तकर्ता के लिए दिन प्रतिदिन के प्रचालन में भाग नहीं लेती है।

3. पूर्व किए गए दावों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज उपाबद्ध हैं :

(क) पेंशन निधि का गठन करने वाले दस्तावेज और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन, और

(ख) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज या सूचना।

सत्यापन*

मैं, …… पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री ..... सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और उपाबंधों और दस्तावेजों, यदि कोई हों, जो इसके साथ हैं, में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टियों का सही कथन किया गया है।

2. मैं, यह और घोषित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार; मैंने कोई तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है, जो इस आवेदन से सुसंगत हो सकती है।

3. मैं, यह भी घोषित करता हूं कि मैं यह आवेदन ..... की क्षमता (पदनाम) में कर रहा हूं और मेरा पैन/आधार** नंबर ..... हैं तथा मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता हूं।

तारीख ..... को सत्यापित।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

टिप्पण: 1. ** जो लागू न हो उसको काट दें।

2. * आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

3. ^ "विनिधान प्राप्तकर्ता" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में उसका है।

4. ¥ "श्रण या उधारियों "का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उप खंड (ख) में उनका है।"

[अधिसूचना संख्या 37/2021/फा.सं. 370142/28/2020 टी पी एल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नी. 274(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (c) of *Explanation 1* to the clause (23FE) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2DB,-

(i) after clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the condition in clause (ii) shall be deemed to have been satisfied with respect to assets being administered or invested, if the following conditions are satisfied; namely:-

(a) value of such assets is not more than ten per cent. of the total value of the assets administered or invested by such fund;

(b) such assets are wholly owned directly or indirectly by the Government of a foreign country; and

(c) such assets vests in the Government of such foreign country upon dissolution.";

(ii) after the proviso to clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the provisions of clause (iii) shall not apply to earning from the assets referred to in the proviso of clause (ii), if the said earning are credited either to the account of the Government of that foreign country or to any other account designated by such Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person;"

3. In the principal rules, in the APPENDIX II, for Form No. 10BBA the following Form shall be substituted, namely:-

"Form No. 10BBA

[See sub-rule (1) of rule 2DC]

Application for notification under sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation* 1 to the clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

(Pension Fund)

To,

The Member (Legislation), CBDT (For application during Financial Year 2020-2021)**/

The Member (Having control over the Foreign Tax and Tax Research Division) (For application during other financial year)**

Madam/Sir,

The applicant is a Pension Fund and interested in making investment in terms of clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 and therefore, it is requested that necessary notification may kindly be issued, the details for which are as under:

(a) Name of the Pension Fund :

(b) Address of the Pension Fund :

(c) Tax Identification Number of the country of residence :

(d) Country of residence :

(e) Permanent Account Number (PAN) :

2.. It is hereby certified that-

(a) the Pension Fund is created or established under the law of _____ (please mention the name of the foreign country including any of its political constituents like province/state/local body etc.) and is regulated under that law;

(b) the Pension Fund is not liable to tax in the foreign country mentioned at (a) above or if liable to tax, exemption from taxation for all its income has been provided by such foreign country;

(c) the Pension Fund is responsible for administering or investing the assets for meeting the statutorily obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be/not more than ten per cent. of the total value of the assets administered or invested by the Pension Fund are invested in plans other than the plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans and such assets are wholly owned directly or indirectly by the Government of the foreign country mentioned at (a) and upon dissolution vests in the Goverment of such foreign country (strike off which ever is not applicable);

(d) the earnings and assets of the Pension Fund are used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in (c) above and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person barring any payment made to the creditors or depositors or loan or borrowing taken for purposes other than for making investment in India/the earning and assets of the Pension Fund from plans other than the plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans are credited either to the account of the Government of the foreign country mentioned at (a) or to any other account designated by such Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person; (strike off whichever is not applicable) and

(e) the Pension Fund does not participate in the day to day operations of investee ^ barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director .

3. In support of the claims made above, the following documents are attached:

(a) documents constituting the Pension Fund and any later amendment thereto, and

(b) any other relevant document or information.

Verification*

I, _____, son/daughter/wife** of Shri _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this application and the annexures and documents, if any, accompanying it are correct and complete and particulars shown therein are truly stated.

2. I further declare that to the best of my knowledge; I have not concealed any fact or information which could be relevant for this application.

3. I also declare that I am making this application in my capacity as _____ (designation) and that I am holding PAN/Aadhaar** _____ and I am competent to make this application and verify it.

Verified today the _____ day of _____

Place _____

(Signature) _____

Name _____

Notes: 1. **Delete whichever is not applicable.

2. *To be signed by the person competent to verify the return of income under section 140 of the Income-tax Act, 1961.

3.^ An "investee" shall have the same meaning as in clause (i) of Explanation 2 to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.

4. ¥ loan and borrowing shall have the same meaning as in sub-clause (b) of clause (ii) of Explanation 2 to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.".

[Notification No. 37/2021/F. No. 370142/28/2020-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 274 dated the 15th April, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.26 21:24:01 +05'30'